

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना-15, दिनांक-.....2026

संख्या-09/प्रो0-02-01/2025, सा0प्र0-...../सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं परिपत्र संख्या-10360, दिनांक-11.06.2026 में निहित प्रावधान के आलोक में, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निम्नांकित आप्त सचिवों को प्रधान आप्त सचिव के पद पर विहित वेतनमान (वेतन स्तर-11) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता है-

क्रम संख्या	पदाधिकारी का नाम/विभाग का नाम	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट 2026 के अनुसार)	वर्तमान पद
1	2	3	4
1	श्री राजीव कुमार, योजना पर्षद, बिहार, पटना।	106	आप्त सचिव
2	श्री शत्रुघ्न सहनी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना	113	आप्त सचिव

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।

3. उक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक प्रधान आप्त सचिव (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-11) में उत्क्रमित किया जाता है।

4. उक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रधान आप्त सचिव के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राज किशोर तिवारी)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-09/प्रो0-02-01/2025, सा0प्र0-11490/...../पटना-15, दिनांक-30.06.2026

प्रतिलिपि-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0एवं हक0), बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राज किशोर तिवारी)